

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघर: केट/PO: CAT
इन्दौर/Indore - 452013

संदर्भ : 14/05/2020-जी.एस.सी./460

दिनांक 31/03/2021

विषय :- कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक अतिरिक्त दिशा निर्देश।


कृपया उपरोक्त विषय में कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक /1163/री.ए.डी.एम/2021 दिनांक 25/03/2021 की प्रतिलिपि संलग्न है।

2. उपरोक्त आदेश के बिन्दु क्रमांक 14 के अनुसार समस्त निजी एवं शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख द्वारा एक दल गठित किया जाना है, जो उन कर्मचारियों से रुपये 200/- का अर्थदण्ड वसूलेंगे जो मास्क ठीक ढंग से नहीं पहनते पाये गये अर्थात् नाक के अथवा मुंह के नीचे मास्क होने पर तथा जो कर्मचारी बिना मास्क के पाये गये उन पर रुपये 400/- का अर्थदण्ड वसूलेंगे। तदनुसार निदेशक, आरआकेट के अनुमोदन से इस केन्द्र में श्री संदीप तलवार की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है :-

- (i) श्री संदीप तलवार, वै. अधि./जी (सदस्य सचिव, सी.डब्लू.ई.एम.सी.)
- (ii) श्रीमती विजया तोमर, स.का.अधि.
- (iii) श्री बसंत केथवास, सहायक लेखाकार
- (iv) श्री विनोद कुमार कनिती, सह. सुरक्षा अधिकारी

3. उक्त समिति आरआकेट के तकनीकी क्षेत्र में स्थित भवनो/मार्गो इत्यादि में सरप्राइज जाँच करेगी तथा जो कर्मचारी कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर के आदेश दिनांक 25/03/2021 का उल्लंघन करते पाये गये कर्मचारियों पर अर्थदण्ड लगाएगी। यह अर्थदण्ड कर्मचारी /कर्मचारियों के वेतन से वसूला जाएगा, इसके लिए उक्त समिति की सिफारीश लेखा अनुभाग में वेतन से कटौती के लिए भेजा जाएगा।

4. बाकि दिशानिर्देश संलग्न कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर के आदेश के अनुरूप रहेगी।
5. यह निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी हुआ है।
6. सभी से सहयोग की अपेक्षा है।



8.4.21
(एस. एस. गोंडाणे)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

संलग्न : यथोपरि

मेल ऑल

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक कार्यालय, आरआरकेट, इन्दौर
2. सभी समूह निदेशक
3. सभी विभाग प्रमुख
4. सभी अनुभाग प्रमुख
5. सभी लेब प्रमुख
6. डी.सी. (सी.आई.एस.एफ)
7. डी.सी.एस.ओ.

कोविड -19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक अतिरिक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन ना करने पर अर्थदण्ड।

श्री/श्रीमती/कु./डॉ पद....., सी. सी.

नम्बर....., अनुभाग, आज दिनांक

को कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिल इन्दौर के आदेश कमांक /1163/री.ए.डी.एम.

/2021 दिनांक 25/03/2021 के बिन्दु कमांक 14 के आदेशानुसार, कोविड -19 के बढ़ते

संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक अतिरिक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए

पाया गया है। अतः उक्त आदेश के अनुसार श्री/श्रीमती/कु./डॉ.....

के वेतन माह....., 2021 से (i) रुपये 200/- का अर्थदण्ड वसूला जाए क्योंकि

मास्क ठीक ढंग से नहीं पहनते पाये गये/गयी (ii) रुपये 400/-का अर्थदण्ड वसूला जाए

क्योंकि बिना मास्क के पाये गये/गयी । { (i) व (ii) में जो उपयुक्त हो }

दिनांक

स्थान.....

समिति की उपस्थिति में

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

(श्री बसंत केथवास)

(श्री विनोद कुमार कनिती)

(श्रीमती विजया मुकेश तोमर)

प्रतिहस्ताक्षर:- (श्री संदीप तलवार)

सेवा में

सहायक लेखा अधिकारी (वेतन)

आरआरकेट, इन्दौर

} वेतन से कटौती हेतु।

नोट : यदि यह पाया गया की किसी कर्मचारी ने मास्क सही ढंग से नहीं पहना है या मास्क नहीं पहना है तथा रिकव्हरी हेतु हस्ताक्षर करने से मना करता है तो मामले को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु उचित प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा ।